कजरिया

धारा 1– वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा लगाई गई आपत्ति में ''अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वननिवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2007'' की नियम 3 में ग्रामस्तरीय वनाधिकार समितियों के नियमानुरूप समिति के गठन ना होने पर आपत्ति लगाई गयी है। आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि 10 दिसम्बर 2008 को तत्कालीन जिलाधिकारी महोदया सुश्री पिंकी जोएल जी के निर्देश पर जिलास्तरीय अधिकारियों की अध्यक्षता में जनपद खीरी में नियम के अनुरूप 18 ग्राम पंचायतों की ग्रामस्तरीय समितियों का गठन किया गया था (सूचि संलग्न)। उन्हीं गठित की गई समितियों के प्रस्ताव के साथ ग्राम का दावा दिनांक 31 जुलाई 2013 को प्रस्तुत किया गया था। इस तरह से वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा लगाई यह आपत्ति निराधार है।

धारा 2– यह आपत्ति निराधार है, क्योंकि ज्ञात रहे कि यह दावा नियम–7 के संशोधित नियम–12 में दिये गये प्रारूप–ग के आधार पर किया गया है व ग्राम सभा स्तर पर सारी प्रक्रियायें पूर्ण करके ही उपखण्ड स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

धारा–3 यह आपत्ति भी पूरी तरह से निराधार है क्योंकि दावा फाईल जो कि उपजिलाधिकारी कार्यालय मौजूद हैं उनमें सभी ज़रूरी साक्ष्य संलग्न हैं।

धारा–4 प्रारूप ग के कालम 6 में क्षेत्रफल शब्द ही नहीं है, कम्पार्टमेंट संख्या भी अगर ज्ञांत हो तभी लिखा जाना है। वन विभाग संलग्न नक्शों के आधार पर यह नम्बर लगा कर देने के लिये जिम्मेदारी वनविभाग की है।

धारा–5 सर्वप्रथम यह दावा वनाधिकार नियमावली संशोधन–2012 में दिये गये प्रारूप ग में किया गया है, इसके अलावा बाकी आपत्तियों के कानून व नियमावली के अन्तर्गत ग्राम समिति द्वारा उचित जवाब दे दिये जाने के पश्चात आपत्ति की इस धारा में उठाया गया प्रश्न स्वयं अप्रासंगिक हो जाता है।

धारा–6 इस आपत्ति का जवाब कृप्या वनाधिकार कानून की धारा 4 में व दिनांक 8 जून 2010 को उ0प्र0 शासन द्वारा दुधवा टाईगर रिज़र्व घोषित करने के लिये जारी अधिसूचना संख्या–1505/14–4–2010–872/2007 में खोजा जायेगा तो आपत्ति खुद–ब खुद खारिज हो जायेगी। वनविभाग को लगता है अभी कानून के अध्ययन की बहुत ज़रूरत है और सूरमा गॉव जो कि कोर जोन में है, वनग्राम से राजस्व गॉव में 2011 में वनाधिकार कानून के तहत ही कैसे तब्दील हुआ, उसके सभी दस्तावेज़ ज़रूर प्रतिपालक महोदय के कार्यालय में मौजूद होंगे, कृप्या उनका भी अध्ययन करें।

(दुधवा टाईगर रिज़र्व की अधिसूचना व सूरमा ग्राम को राजस्व का दर्जा दिये जाने के आदेश की फोटो प्रतिलिपियां संलग्न)।

धारा–7 आपत्ति कर्ता प्रतिपालक महोदय उपबन्ध 4 में नीचे अंकित अधोहस्ताक्षरी अधिकारियों के द्वारा दावा प्रारूप–ग को भर कर जिलस्तरीय समिति के जिम्मेदार उल्लिखित अधिकारियों द्वारा दावाकर्ताओं को अधिकार पत्र सौंपने की प्रक्रिया पूर्ण करनी है, यह उपबन्ध दावाकर्ताओं द्वारा नहीं भरा जाना है।